

प्रेस नोट- दिनांक 13.05.2021

यू0पी0-112 सिद्धार्थनगर के पी0आर0वी0 कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुँचकर घायलों का कराया गया इलाज , प्रतिवादी गिरफ्तार ।

आज दिनांक 13-05-2021 को समय-10:39 बजे कॉलर- राधेश्याम ग्राम सेमरी थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर के द्वारा सूचना दिया गया कि उनके ही गांव के पूर्व प्रधान व उनके परिवार वालों ने मारा-पीटा है व पत्नी का पैर तोड़ दिया है, घायल हैं। इस सूचना पर पीआरवी द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर देखा कि दोनों पक्षों में रास्ते को लेकर विवाद है, मारपीट किये हैं, घायलों को तत्काल इलाज हेतु एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजवाया गया और प्रतिवादी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यावाही हेतु थाना त्रिलोकपुर लाकर मु0आ0 केशव बिहारी यादव के सुपुर्द किया गया। पीआरवी की उक्त त्वरित कार्यावाही की सराहना आम जन-मानस द्वारा की गयी ।

ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी गण-

कमाण्डर- हे0का0 हरिचरण वर्मा

सबकमाण्डर- आ0 विक्रम मौर्य

पीआरवी पायलट- हो0गा0 पोखराज मौर्य

**प्रेस नोट- दिनांक 13.05.2021 जनपद सिद्धार्थनगर
वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।**

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश निर्देश के क्रम में श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण व श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल निर्देशन में व श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक थाना इटवा के नेतृत्व में उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह, का0 अमित कुमार द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 78/21 धारा 363/366 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त पत्ति लाल यादव पुत्र रामरक्षा यादव, उर्फ कट्टे निवासी ग्राम लमुईया थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर को पहाड़पुर चौराहा से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय सि0नगर भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

पत्ति लाल यादव पुत्र रामरक्षा यादव, उर्फ कट्टे निवासी ग्राम लमुईया थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह ।

2- का0 अमित कुमार

प्रेस नोट दिनांक 13.05.2021 जनपद सिद्धार्थनगर

कोविड महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यावाही ।

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने व कोविड महामारी अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया ।

इस क्रम में आज दिनांक 13-05-2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मास्क न लगाने तथा अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने के कारण महामारी अधिनियम की धारा 3, 4 व 5 का उल्लंघन करने वाले 346 व्यक्तियों का चालान किया गया तथा उनसे कुल ₹ 60,600/- की धनराशि शमन शुल्क के रूप में वसूली गई ।

प्रेस नोट दिनांक 13.05.2021

प्रतिबन्धित नशीली गोलियों व चोरी के वाहन के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में व श्री छत्रपाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 13-05-2021 को थाना को0 सिद्धार्थनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि 02 व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल लेकर झण्डेनगर बाईपास से मधुबेनिया के तरफ से नेपाल की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा मधुबेनिया चौराहे के पहले स्कूल के पास पहुचकर इन्तजार करने लगे कि कुछ समय पश्चात समय करीब 8.30 बजे बाईपास की तरफ से एक मोटरसाइकिल से 02 व्यक्ति आते दिखाई दिये जिन्हे पुलिस बल द्वारा रोका गया, नाम-पता पूछने पर अपना नाम समरेज पुत्र आजाद कस्बा मोहाना थाना मोहाना जिला सि0नगर बताया पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम दिलशाद पुत्र रमजान निवासी पिछौरा थाना व जिला सि0नगर बताया, निमयामुसार जामा तलाशी लेने पर दिलशाद के दाहिने हाथ में लिये पन्नी से अल्ट्राजोलम की 0.5 एमजी की 14 पत्ते में कुल 210 नशीली गोलिया बरामद हुई। कड़ाई से पूछ-ताछ करने पर बताया कि उक्त मोटरसाइकिल को कस्बा नौगढ से चोरी किया था आज हमलोग मोटरसाइकिल व नशीली गोलियां नेपाल बेचने जा रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। उक्त मोटरसाइकिल UP55F3609 थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 113/2021 धारा 379 भादवि से संबंधित चोरीशुदा वाहन है जिसे कब्जे में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।

बरामदगी का विवरण-

14 पत्ते में कुल 210 अदद प्रतिबंधित नशीली गोली अल्ट्राजोलम 0.5 Mg.

एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल वाहन सं0- UP 55 F 6309

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता-

1-समरेज पुत्र आजाद कस्बा मोहाना थाना मोहाना जिला सि0नगर

2- दिलशाद पुत्र रमजान साकिन वर्डपुर न0- 11 टोला पिछौरा थाना व जिला सि0नगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- उ0नि0 श्री सभाजीत मिश्र प्रभारी चौकी पुराना नौगढ थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।

2-उ0नि0 श्री अजय सिंह थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।

3- हे0का0प्रो0 सूर्यभान सिंह थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।

4-हे0का0 अमरनाथ सिंह यादव थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर

5-का0 राहुल खरवार थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 13.05.2021 थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर

“कण्टेनमेन्ट जोन की चेकिंग कर दिये आवश्यक दिशा-निर्देश।”

श्री अशोक राय, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में कण्टेनमेन्ट जोन की चेकिंग के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री जगप्रवेश, ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट बांसी व श्री अरुण चन्द्र क्षेत्राधिकारी बांसी एवं श्री पंकज कुमार पाण्डेय थानाध्यक्ष जोगिया उदयपुर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.05.2021 को कण्टेनमेन्ट जोन सूपाराजा की चेकिंग किया गया व आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

सराहनीय कार्य दिनांक 13-05-2021

मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही।

यातायात नियमों व लाकडाउन उल्लंघन कर फर्रटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 13-05-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एकट के अंतर्गत 789 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 274 वाहनों का चालान कर ₹ 1,99,500/- शमन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 13.05.2021

लाकडाउन का पालन न करने व मास्क न लगाने पर हुई बड़ी कार्यवाही ।

श्री अशोक राय ,प्रभारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ व श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना शोहरतगढ़, सि0नगर के कुशल निर्देशन में शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा आज दिनांक 13.05.2021 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान कस्बा शोहरतगढ़ मे निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा दुकान खोलकर भीड़ इकट्ठा कर लाकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है और मुह पर मास्क भी नहीं लगाये हुए थे । जिससे कोविड-19 महमारी फैलने की पूर्ण आशंका थी जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 104/2021 धारा 188/269/270 भा.द.वि. 3 महामारी अधि. 51(ख) आपदा प्रबन्धन अधि. पंजीकृत कराया गया है ।

अभियुक्त गण का विवरण –

1. दुर्गा प्रसाद पुत्र राधेश्याम पटवा निवासी वार्ड नं. 6 इन्दिरानगर थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
2. राजेश कुमार पुत्र सीताराम निवासी वार्ड नं. 8 नेहरूनगर थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
3. किशन पुत्र शिवकुमार निवासी वार्ड नं. 10 चौक बाजार थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
4. अशोक कुमार पुत्र सत्यनरायन प्रसाद निवासी गड़ाकुल थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
5. लवकुश पुत्र त्रिलोकी निवासी नीबीदोहनी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक 13.05.2021

आगामी त्यौहार ईद-उल-फितर के सम्बन्ध में क्षेत्र भ्रमण ।

आज दिनांक 13/05/2021 को श्री अशोक राय पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में आगामी त्यौहार ईद-उल-फितर के दृष्टगति श्री सुरेश रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री छत्रपाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस बल को साथ लेकर थाना क्षेत्र में आगामी त्यौहार ईद-उल-फितर के दृष्टगति पैदल गस्त आजादनगर मस्जिद से लेकर कस्बा सिद्धार्थनगर में किया गया व थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों आजादनगर, बेलसड, बगिहवा, सिसहनिया, जामा मस्जिद मोहल्ला शिवाजीनगर, भीमापार मस्जिद व पुरानी नौगढ मस्जिद के आस-पास संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहन चेकिंग किया गया व आस-पास के लोगो के बताया गया कि त्यौहार ईद-उल-फितर व नमाज को सकुशल शान्ति पूर्वक घर मे रहकर कोविड-19 महमारी को ध्यान में रखते हुये उचित दूरी बनाकर व मास्क का प्रयोग करके मनाये ।